कुलाधिपति
Chancellor

जय नारायण व्यास ....विश्वविद्यालय,
..................................University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.2(4)आरबी / 2021 / 5650
दिनांक : 14 अक्टूबर, 2025

आदेश

प्रो. (डॉ.) कन्हैया लाल श्रीवास्तव को राजभवन के आदेश क्रमांक 770–71 दिनांक 14.02.2022 द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर का कुलगुरू नियुक्त किया गया था।

प्रो. (डॉ.) कन्हैया लाल श्रीवास्तव को आदेश क्रमांक 674–75 दिनांक 10.02.2025 के माध्यम से कुलगुरू, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित किये जाने तथा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 (यथासंशोधित) की धारा 11(3) के अंतर्गत नियमित कुलगुरू की नियुक्ति में समय लगने की संभावना एवं विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 11(9) व 11(10) के तहत कामचलाऊ व्यवस्था हेतु राज्य सरकार की सलाह प्राप्त होने में समय लगने की संभावना के दृष्टिगत इस सचिवालय के पत्रांक 703–04 दिनांक 10.02.2025 के माध्यम से डॉ. अजीत कुमार कर्नाटक, कुलगुरू, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलगुरू पद पर कामचलाऊ व्यवस्थार्थ लगाया गया था।

अतः मैं, हरिभाऊ बागड़े, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 1962 (यथासंशोधित) की धारा 11(9) व 11(10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल, कुलगुरू, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को अग्रिम आदेशों अथवा विश्वविद्यालय में नियमित कुलगुरू की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए कामचलाऊ व्यवस्था अन्तर्गत (Stop-gap arrangement) अतिरिक्त प्रभार के रूप में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलगुरू के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

हस्ता0 / –
(हरिभाऊ बागड़े)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.2(4)आरबी / 2021 / 5651 दिनांक : 14 अक्टूबर, 2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल, कुलगुरू, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
6. डॉ. अजीत कुमार कर्नाटक, कुलगुरू, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
7. कुलसचिव, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
8. कुलसचिव, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
9. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
10. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सैल, राजभवन को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान